कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.– 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 241/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 22.06.2026

प्रेस नोट, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़
दिनांक- 22.06.2026

सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति एवं दबंगई का प्रदर्शन करने वाले युवक पर कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, "ऑपरेशन वज्रपात" के तहत 01 व्यक्ति पुलिस हिरासत में

आमजन में भय एवं असुरक्षा का माहौल उत्पन्न करने वाले कृत्यों पर आजमगढ़ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति, निरोधात्मक एवं विधिक कार्रवाई की गई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन वज्रपात"*** अभियान के अंतर्गत **थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति, दबंगई एवं आपराधिक छवि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों** के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई।

अभियान के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो/रील वायरल होना संज्ञान में आया, जिसमें ***सागिल पुत्र रसीद अहमद निवासी मातवरगंज, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़*** द्वारा **"नवाब शगिल छोटा अभिषेक सिंह बाबू आजमगढ़ की शान"** लिखकर वीडियो पोस्ट किया गया था। उक्त पोस्ट का परीक्षण करने पर पाया गया कि इससे आमजन में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने तथा सामाजिक सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना थी।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल जांच कर वीडियो पोस्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान **सागिल पुत्र रसीद अहमद** के रूप में की गई। तत्पश्चात दिनांक **21.06.2026** को **ऑपरेशन वज्रपात** के तहत उक्त व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेकर उसके **विरुद्ध आवश्यक निरोधात्मक एवं विधिक कार्रवाई** की गई।

पुलिस टीम-

- प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय, थाना कोतवाली
- उपनिरीक्षक सागर कुमार रंगू, साइबर प्रभारी थाना कोतवाली
- कांस्टेबल नीरज कुमार, साइबर टीम थाना कोतवाली

➡ आजमगढ़ पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति, दबंगई, आपराधिक वर्चस्व अथवा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई निरंतर की जाती रहेगी।

प्रेस नोट, दिनांक : 22.06.2026
थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

□ "ऑपरेशन वज्रपातके तहत सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति का प्रदर्शन करने वाले युवक पर पुलिस की " कार्रवाई

□ इंस्टाग्राम पर गैंग बनाकर वीडियो पोस्ट करने वाले युवक की पहचान कर की गई काउंसलिंग

□ अभिभावकों की मौजूदगी में दी गई सख्त चेतावनी, BNSS की धाराओं में चालान

□ युवाओं को सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने एवं सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने की अपील

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में संचालित **"ऑपरेशन वज्रपात"** अभियान के अंतर्गत थाना सिधारी पुलिस द्वारा क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ रही गैंग संस्कृति पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान यह संज्ञान में आया कि कुछ युवक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर गैंग बनाकर क्षेत्र में भ्रमण करते हुए वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जिससे आम जनमानस में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। जांच के दौरान इंस्टाग्राम आईडी **"ajay_up_50_9199"** संचालित करने वाले युवक **अजय यादव पुत्र कन्हैया लाल यादव निवासी जमालपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 24 वर्ष** को गैंग के लीडर के रूप में चिन्हित किया गया।

थाना सिधारी पुलिस द्वारा उक्त युवक को थाना परिसर में उसके अभिभावकों की उपस्थिति में बुलाकर काउंसलिंग की गई तथा कानून-व्यवस्था, यातायात नियमों एवं सोशल मीडिया के दुरुपयोग से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई।

कार्यवाही के दौरान संबंधित युवक का **धारा 126/135 बीएनएसएस** के अंतर्गत चालान किया गया। पुलिस द्वारा अभिभावकों से भी अपील की गई कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखें तथा उन्हें कानून का पालन करने एवं सकारात्मक एवं रचनात्मक कार्यों में सहभागिता हेतु प्रेरित करें।

पुलिस की अपील

जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी एवं सकारात्मक उद्देश्य के लिए करें। किसी भी प्रकार की गैंग संस्कृति, दबंगई अथवा भय का वातावरण बनाने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 राजबिहारी सिंह, रिक्रूट आरक्षी साहिल खान, रिक्रूट आरक्षी सत्यम श्रीवास्तव, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन वज्रपात" के अंतर्गत जनपद पुलिस की यह कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

प्रेस नोट, दिनांक 22.06.2026
थाना कोतवाली, जनपद- आजमगढ़

• सोशल मीडिया पर दबंगई और गैंग संस्कृति का प्रदर्शन करने वालों पर कोतवाली पुलिस की सख्त कार्रवाई, "ऑपरेशन वज्रपात" के तहत 01 अभियुक्त पुलिस हिरासत में

• एक व्यक्ति द्वारा रील बनाकर सोशल मीडिया पर नवाब शगिल छोटा अभिषेक सिंह बाबू आजमगढ़ की शान लिखकर वायरल किया गया, जिसे हिरासत में लेकर निरोधात्मक की गयी।

• आमजन में भय एवं असुरक्षा का माहौल उत्पन्न करने वालों को पुलिस की कड़ी चेतावनी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के *निर्देशन में,* अपर पुलिस अधीक्षक नगर के *पर्यवेक्षण* एवं क्षेत्राधिकारी नगर के *कुशल नेतृत्व* *में थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा* **"ऑपरेशन वज्रपात"** के क्रम में क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में बढ़ रही गैंग संस्कृति एवं दबंगई के प्रदर्शन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

➡ अभियान के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो संज्ञान में आया कि अभिषेक सिंह पुत्र हरिकेश सिंह सा. मातवरगंज थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा रील बनाकर सोशल मीडिया पर नवाब शगिल छोटा अभिषेक सिंह बाबू आजमगढ़ की शान लिखकर पोस्ट किया गया है। उक्त कृत्य से आमजन में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना पाई गई। उक्त वीडियो से सम्बन्धित एक व्यक्ति सागिल पुत्र रसीद अहमद सा. मातवरगंज थाना कोतवाली आजमग़ढ़ की पूर्व में निरोधात्मक कार्यवाही की गयी है।

➡ थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मामले की जांच कर उक्त वीडियो पोस्ट करने वाले की पहचान अभिषेक सिंह पुत्र हरिकेश सिंह सा. मातवरगंज थाना कोतवाली आजमगढ़ के रूप में की गई।

➡ दिनांक 21.06.2026 को ऑपरेशन वज्रपात के तहत उक्त वीडियों को सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले सम्बंधित व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक निरोधात्मक एवं विधिक कार्रवाई की गयी।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय थाना कोतवाली
उ0नि0 सागर कुमार रंगू साइबर प्रभारी थाना कोतवाली
कां0 नीरज कुमार साइबर टीम कोतवाली

➡ आजमगढ़ पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति, दबंगई अथवा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

प्रेस नोट, दिनांक 22.06.2026
थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

☐ साइबर टीम सिधारी की त्वरित कार्रवाई से साइबर ठगी के शिकार युवक को मिली राहत, ₹3023 की धनराशि कराई गई वापस

☐ QR Code के माध्यम से हुई साइबर ठगी का सफल निस्तारण, सिधारी पुलिस ने पीड़ित के खाते में लौटाए ₹3023

घटना का विवरण- आवेदक सौरभ सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह निवासी मनिकाडीह थाना सिधारी आजमगढ का दोस्त बनकर कोई अंजान व्यक्ति द्वारा QR Code भेजकर पैसा माँगा गया और आवेदक के द्वारा उस पर विश्वास करके पैसा भेज दिया गया और जब आवेदक को पता चला कि उसके साथ साइबर फ्राड हो गया है तो आवेदक द्वारा साइबर हेल्प लाइन पर शिकायत दर्ज कराया गया था | जिस पर थाना सिधारी साइबर टीम द्वारा साइबर सेल आजमगढ से तकनीकी सहायता लेते हुए त्वरित कार्यवाही की गयी | जिसके क्रम में सौरभ सिंह उपरोक्त का 3023/- रूपये की धनराशि नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते में वापस कराया गया | आवेदक को जागरूक किया गया कि फर्जी फोन कॉलर को अपनी निजी जानकारी , किसी प्रकार का ओ0टी0पी0 साझा न करें | कभी भी किसी प्रकार का साइबर ठगी होती है तो इसकी शिकायत तत्काल साइबर हेल्पलाइन नं0 1930 पर या वेबसाईट www.cybercrime.gov.in पर करें या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर बने साइबर हेल्प डेस्क पर तुरंत सपर्क करें |

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 स्मिता गुप्ता थाना सिधारी आजमगढ़।
2. का0 महेश कुमार थाना सिधारी आजमगढ
3. कां0 पवन गुप्ता थाना सिधारी आजमगढ़।
4. का0 सोनू कुमार थाना सिधारी आजमगढ़ |